न्यायालय श्री अखिलेश प्रताप सिंह, न्या0 दण्डा0, प्र0 श्रे0, दाउदनगर ।
जी0आर0सं0 :—376 / 2022
हसपुरा थाना कांड संख्या :—106 / 2022

29.04.2022 आवेदकगण / अभियुक्तगण आरती कुमारी, ज्योति कुमारी एवं रीता देवी की ओर से उपस्थिति पत्र एवं शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया, तत्पश्चात् आवेदकगण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करते है । आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई ।

वाद पुकार पर आवेदकगण / अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदकगण निर्दोष है । आवेदकगण की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है। प्राथमिकी बिल्कुल बनावटी एवं मनगढं.त है । आवेदकगण के विरूद्ध दहेज मॉगने का आरोप बिल्कुल झूठा है । आवेदकगण परदानसीन महिला है तथा अभियुक्त ज्योति कुमारी अविवाहित है । सूचिका अपने मन मोताबिक घर को संचालित करना चाहती है तथा इसी बात को लेकर पति से मनमुटाव हुआ तथा इसी रंजिश में यह बनावटी मुकदमा लाया गया है । आवेदकगण को इस वाद के अभियुक्त रौशन यादव से किसी प्रकार का सरोकार नही है । अतः आवेदकगण को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उपरोक्त आवेदकगण / अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 379, 498''ए'' एवं 504 / 34 भा0द0सं0 एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। उपरोक्त धाराओं में धारा 498ए, 379 भा0द0सं0 एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को छोड.कर अन्य सभी धाराएँ जमानतीय प्रकृति का है । आवेदकगण महिला है एवं सूचिका के ससुराल के परिवारिक सदस्यगण है, जिसमें उसके सास, एवं ननद है । उक्त नामांकित व्यक्तियों में सूचिका का पति शामिल नही है । आवेदकगण के विरूद्ध धारा 498ए एवं 379 भा0द0सं0 एवं धारा 3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप इस चरण में आवेदकगण के विरूद्ध अलंकृत प्रतीत होता है । आवेदकगण स्वतः न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किये है, जिससे यह संभव प्रतीत होता है कि आवेदकगण विचारण का सामना करेंगे, भागेंगे नही ।

अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं आवेदकगण का महिला होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदकगण का जमानत न्यायहित में तीन माह के लिए औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ स्वीकृत किया जाना समीचीन प्रतीत होता है कि आवेदकगण सूचिका को न तो प्रताडि.त करेंगे एवं न ही मारपीट करेंगे, ऐसी कोई सूचना प्राप्त होने पर उनका बंधपत्र बिखंडित कर दिया जायेगा । ऐसी स्थिति में उपरोक्त अभियुक्तगण को मो0—5000X2 के समान राशि के बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ।

न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, दाउदनगर ।